फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार,2005 **पत्रावली संख्या 30/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 31.08.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा द्वारा जरिये क्रमांकः रीडर/सूचना का अधिकार/2021/391 दिनांक 31.08.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी श्री गोपाल कंसारा पिता उदयलाल कंसारा निवासी देवगढ़, मदारिया जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के तहत दायर की गई अपील में यह तथ्य प्रकट किये गये कि तहसील क्षैत्र रेलमगरा के समस्त पटवार सर्किलों में अवस्थित सभी ग्रामों में स्थित बिना मुंडेर के कुंओं की संख्या, पटवार सर्किल वाईज कुओं की सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचनाए आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं से संबंधित रेकार्ड की सूचना का श्रीमान के पत्रांक 488–97 दिनांक 11.06.2021 के साथ आवेदन पत्र प्रति प्राप्त होने पर, कार्यालय हाजा से भू–अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 281 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा अपिलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक में माध्यम से वांछित सूचना कार्यालय हाजा द्वारा अपीलार्थी को सूचनाएं समय पर कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर बिना मुंडेर के कुओं की संख्या, पटवार सर्किल वाईज कुओं की कुल संख्या तैयार करा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गयी हैं। आवेदन पत्र से संबंधित अन्य कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना बकाया नही हैं।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार करा उपलब्ध करा दी गई हैं।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द